NEWS LETTER

January 2021

M.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
JABALPUR

Celebrating Republic Day
(26.01.2021)

Flag hoisting, Release of Hand Book on "Legal Services Authority Act, Rules, Regulation & Relevant Notifications " and Booklet on "Paralegal Volunteer Child Rights Manual"

26th January 2021 was a red letter day for MPSLSA with the launch of Release of Hand Book on **"Legal Services Authority Act, Rules, Regulation & Relevant Notifications "** and Booklet on **"Paralegal Volunteer Child Rights Manual"** apart from flag hoisting by Hon'ble Shri Justice Mohammad Rafiq, The Chief Justice & Patron-in-Chief MPSLSA in presence of Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Hon'ble Executive Chairman MPSLSA and companion Hon'ble Judges of the Principal Seat High Court of M.P.

Maintaining safety standards of physical distancing, the Handbook on "Legal Services Authority Act, Rules, Regulation & Relevant Notifications" and Booklet on "Paralegal Volunteer Child Rights Manual" was released in the presence of Registrar General, Member Secretary and officials of M.P. State Legal Services Authority. The handbooks are ready reckoners for all duty holders working and committed persons working for the cause of child rights.

The highlight of the day was the Gudumb Baja & Karma dance by tribals from Mandla and Dindori showcasing their vitality and rich culture. This occasion

was also marked with cultural programs by children of Balgrah Jabalpur and law interns, portraying themes of unity and integrity. Along with this, an exhibition with display of tribal products viz. kutki, kodu and other food items, pure honey extracted from the forest areas, bamboo products, tribal paintings and other arts and artifacts at reasonable prices. The products made in the Central Jail Jabalpur by the prisoners were also included in the exhibition.

Visiting the Tribal Stalls

Felicitation of the Tribal Dance

Publications

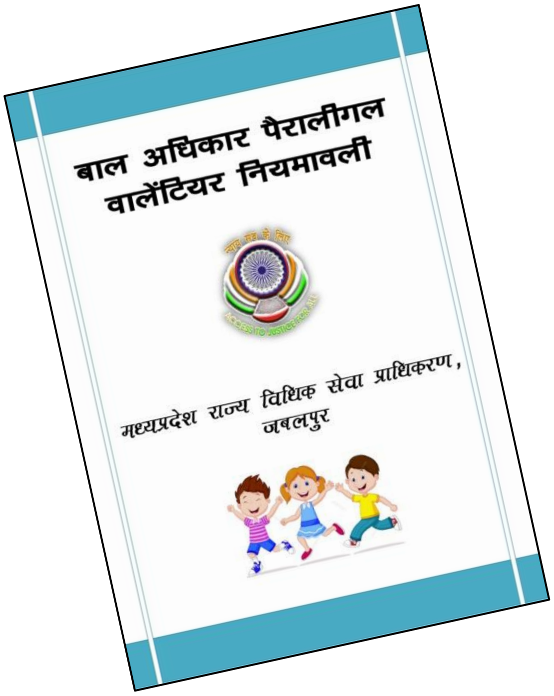

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी

जिला प्राधिकरण सिवनी द्वारा दिनांक 26.01.2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोक–अदालत एवं मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण हेतु जन जागरुकता लाने के लिए झांकी का प्रस्तुतीकरण किया गया, उक्त झांकी की थीम **''शांति सद्भाव से खुशहाली''** रखी गई।

News Clips

The Hitavada

Jabalpur City Line | 2021-01-28 | Page- 1
ehitavada.com

Chief Justice Mohammad Rafiq releases handbook, booklet on R-Day

Chief Justice Mohammed Rafiq, accompanied by other officials, releasing the handbook.

■ Legal Correspondent

REPUBLIC Day was the red-letter day for MPSLSA with the release of hand book on Legal Services Authority Act, Rules, Regulation & Relevant Notifications and booklet on Paralegal Volunteer Child Rights Manual apart from flag hoisting by Chief Justice Mohammad Rafiq. The Chief Justice and Patron-in-Chief of MPSLSA in presence of Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman MPSLSA, and companion Judges of the Principal Seat High Court of MP.

Maintaining safety standards of physical distancing, the handbook on Legal Services Authority Act, Rules, Regulation & Relevant Notifications and Booklet on Paralegal Volunteer Child Rights Manual was released in the presence of Registrar General, Member Secretary and officials of MP State Legal Services Authority. The handbooks are

(Contd on page 2)

Powered by Bhara

गणतंत्र दिवस पर चीफ जस्टिस ने किया दो पुस्तकों का विमोचन

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने गणतंत्र दिवस पर मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की दो पुस्तकों विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, नालसा एवं राज्य प्राधिकरण के नियम, विनियम एवं अधिसूचना संग्रह और बाल अधिकार पैरालीगल वॉलेंटियर्स का विमोचन किया। इसके पूर्व चीफ जस्टिस द्वारा प्राधिकरण कार्यालय में ध्वजारोहण भी किया गया। इस मौके पर मप्र हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव भी मौजूद थे। प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह ने बताया कि इस मौके पर विधि छात्रों, बालगृह के बच्चों और डिंडोरी के आदिवासियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें कोदो-कुटकी, शहद एवं बाँस से बने उत्पाद शामिल किए गए। प्रदर्शनी में केन्द्रीय जेल जबलपुर के बंदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को भी शामिल किया गया। पी-4

Court Based Legal Services

Mediation

Online Dispute Resolution

"Community Mediation Training"

"Online Mediation Training of volunteers "Muslim Community"
(06.01.2021-18.01.2021)

The occasion of Online Community Mediation Programme for 20 Hrs taken up under the aegis of MP SLSA with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee is a very important step towards encouraging access to mediation. The programme commenced through online mode today extending to participants of Muslim Community in 08 districts viz. Jabalpur, **Anuppur, Shahdol, Mandleshwar, Dewas, Badwani, Raisen and Neemuch.**

TheHitavada
Jabalpur City Line | 2021-01-19 | Page- 4
ehitavada.com

Online mediation for Muslim community ends

- Community members from Anuppur, Barwani Jabalpur, Dewas, Mandleshwar, Shahdol, Raisen and Neemuch participated

- Legal Correspondent

ONLINE community mediation programme for 20 hours taken up under the aegis of Madhya Pradesh State Legal Services Authority (MPSLSA) with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee extending to participants of Muslim community from eight districts viz. Anuppur, Barwani Jabalpur, Dewas, Mandleshwar, Shahdol, Raisen and Neemuch, concluded on January 18. Mediation as very important alternate dispute resolution mechanism earlier confined to the offices of the legal services institutions will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society and thereby settle the conflicts at grass root level. The confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at win-win formula. The topics of the programme included psychology of conflict, negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements and training imparted by Giribala Singh, Member-Secretary MPSLSA and Rajiv Karmahe- Secretary, HCLSC Jabalpur while as resource persons. Professor CSS Thakur, ex-HoD of Sociology Department RDVV, Neena Khare and Shahid Mohammad also shared valuable inputs. The valedictory session was attended by the secretaries of DLSA who shall be responsible for extending logistic support and assistance apart from monitoring activities of these centres. The trained volunteers of the community shall set up community mediation centres at the community level and resolve disputes amicably. The programme concluded with the national anthem.

Senior office-bearers of the MPSLSA during the online community mediation programme.

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

Mediation as very important alternate dispute resolution mechanism earlier confined to the offices of the Legal Services Institutions will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society and thereby settle the conflicts at grass root level. The confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at win-win formula.

The topics of the programme included the psychology of conflict, effective negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements by trainers Ms. Giribala Singh & Mr. Rajiv Karmahe (Judge Mediators).

Online Training to Members of Muslim Community

Online Dispute Resolution
“Community Mediation Training”
“Online Mediation Training of volunteers “Meena Community”
(21.01.2021-01.02.2021)

Online Community Mediation Programme for 20 Hrs taken up under the aegis of MP SLSA with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee extending to participants of Meena Community from 11 districts viz. **Bhopal, Gwalior, Dewas, Harda, Hoshangabad, Indore, Khandwa, Morena, Raisen, Rajgarh and Sheopur** concluded on 01.02.2021.

मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिया आनलाइन मीडिएशन प्रशिक्षण

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने भोपाल, ग्वालियर, देवास, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, खंडवा, मुरैना, रायसेन, राजगढ़ व श्योपुर जिले के मीना समुदाय को आनलाइन सामुदायिक मीडिएशन का प्रशिक्षण दिया। उप सचिव धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मीना समुदाय को 21 जनवरी से एक फरवरी तक 20 घंटे का आनलाइन सामुदायिक प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मीडिएटर, प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह, हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति के सचिव राजीव कर्महे का योगदान रहा। उल्लेखनीय है कि विवादों के वैकल्पिक निराकरण की पद्धति के रूप में मध्यस्थता पद्धति की विशेष प्रासंगिकता व पहचान स्थापित हो चुकी है। इसी मंशा से सभी समुदायों को इससे जोड़ने का संकल्प लिया गया है।

Mediation a very important alternate dispute resolution mechanism earlier confined to the offices of the Legal Services Institutions will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society and thereby settle the conflicts at grass root level. The confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at win-win formula.

The topics of the programme included negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements and training imparted by Ms. Giribala Singh, Member-Secretary MPSLSA & Mr. Rajiv Karmahe- Secretary, HCLSC Jabalpur while as resource person. Ms. Neena Khare also shared valuable inputs.

The valedictory session was attended by the Secretaries of DLSA who shall be responsible for extending logistic support & assistance apart from monitoring activities of these centres. The trained volunteers of the community shall set up Community Mediation Centres at the community level and resolve disputes amicably. The programme concluded with the singing of the National Anthem.

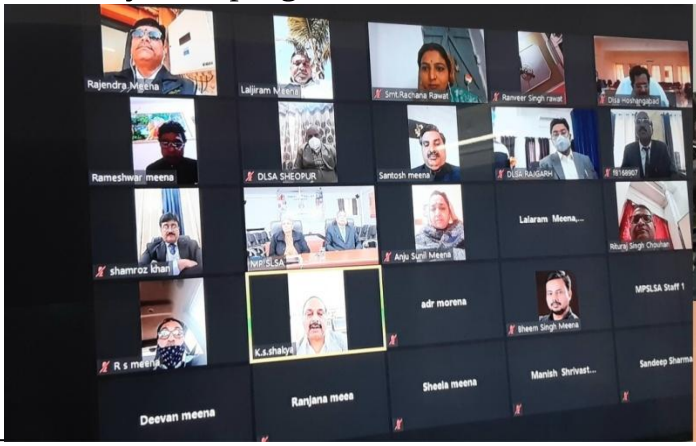

Statistical report of Community Mediation Centre after imparting 20 Hrs Online Training Programme from July 2020 to December 2020

S. No.	Months	Opening balance (A)	No. of cases referred during the financial year (B)	Total No. of Cases (A+B)	Settled Cases (C)	Unsuccessful Cases (D)	Non Started (E)	Total Considered Cases (C+D+E)	Pending Cases ((A+B)-(C+D+E))	Percentage of successfull Settled cases
1	Jul-20	-	2	2	2	-	-	2	-	100.00
2	Aug-20	-	2	2	1	-	-	1	1	50.00
3	Sep-20	1	4	5	4	-	-	4	1	80.00
4	Oct-20	1	3	4	2	-	1	3	1	66.67
5	Nov-20	-	3	3	2	-	-	2	1	66.67
6	Dec-20	-	5	5	3	-	1	4	1	75.00
	Total	**-**	**19**	19	**14**	**-**	**2**	16	3	82.35

Inauguration of Community Mediation Centers - PASI Community

मध्यस्थता से निपटाए जाएंगे आपसी मामले

बरेला, नि.सं। ग्राम कुडारी उमरिया में पासी समुदाय का सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र का शुभारंभ श्रीमती गिरी वाला सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्रीमती गिरी वाला जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मध्यस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विवादों का निपटारा आपसी सुलह वार्ता से किया जा सकता है। इस अवसर पर सचिव भामकर द्वारा ग्रामीण जनों को साक्षर करते हुए लीगल एड क्लीनिक, जनउपयोगी लोक अदालत की महत्ता बतलाई एवं ग्रामीण जनों की समस्या सुनी इस अवसर पर सचिव द्वारा सामुदायिक मध्यस्थता के लिए प्रशिक्षण प्राप्त सदस्यों को प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मोहम्मद जिलानि में जिला विधिक सहायता अधिकारी पासी समाज के प्रशिक्षण प्राप्त मध्यस्थ डालचंद हरि पासी, महिंद्र पासी की विशेष उपस्थिति रही।

WEBINAR ON INCREASING ACCESS TO MEDIATION

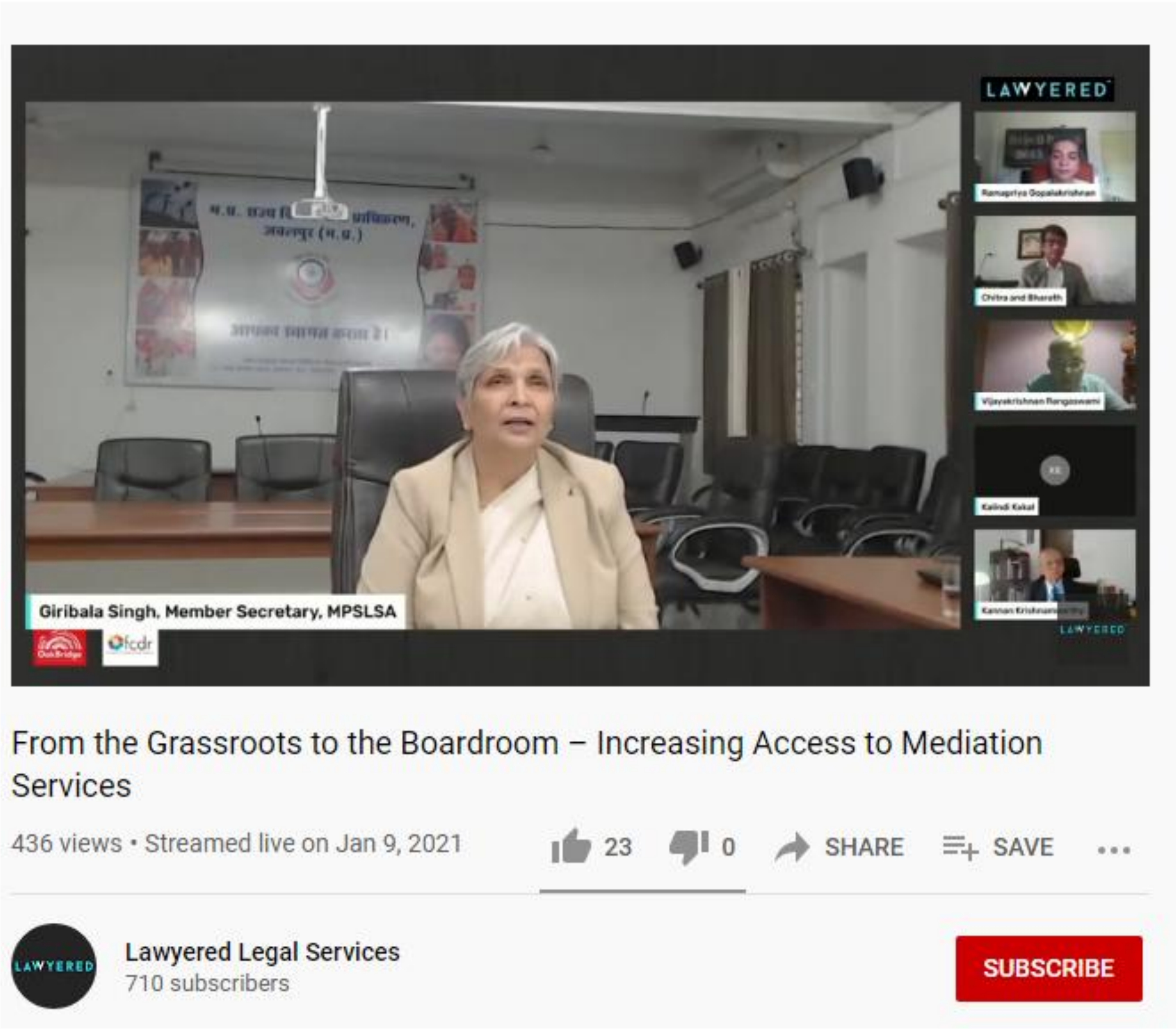

MEMBER-SECRETARY MPSLSA GIVING INPUTS ON COMMUNITY MEDIATION PROGRAMME

Success Stories

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ

मध्यस्थता ने जोड़ा परिवार

मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विविध आपराधिक प्रकरण घरेलू हिंसा, प्रताड़ना और पारिवारिक विवाद से संबंधित प्रकरण लंबित था, जो पत्नी द्वारा पति के विरूद्ध मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की शिकायत का मामला था, उक्त प्रकरण का निराकरण मध्यस्थता के द्वारा सुलह–समझौता के आधार पर दिनांक 20.01.2021 को अंतिम रूप से किया गया। इसके पूर्व उक्त प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ में मीडिएशन हेतु रैफर किया गया था, जहां पति–पत्नी के मध्य अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समझौता वार्ता करवायी गई एवं पति–पत्नी को साथ–साथ रहने की समझाईस देकर दोनों में सुलह करवायी गई, साथ ही भविष्य में शांतिपूर्वक दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने के लिये प्रेरित किया। जिसके फलस्वरूप पत्नी एवं पति राहुल ने पुनः साथ–साथ रहने के लिये सहमति व्यक्त की और दोनों एक साथ न्यायालय परिसर से ही खुशी–खुशी अपने घर गये इस प्रकार एक बिखरा हुआ परिवार मध्यस्थता के माध्यम से पुनः एक होकर जुड़ गया।

मध्यस्थता ने जोड़ा परिवार

जिला जज ने पति-पत्नी को समझाइश देकर कराई सुलह। •नईदुनिया

झाबुआ (नईदुनिया प्रतिनिधि)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा वास्कले के न्यायालय में भारती विरुद्ध राहुल घरेलू हिंसा, प्रताड़ना और पारिवारिक विवाद से संबंधित मामला था। पत्नी भारती की ओर से पति राहुल के विरुद्ध मामला पेश किया गया था जिसका मध्यस्थता द्वारा सुलह-समझौता के आधार पर बुधवार को अंतिम रूप से निराकरण किया गया।

पति-पत्नी के मध्य जिला जज राजेश कुमार गुप्ता द्वारा समझौता वार्ता कराई गई तथा पति-पत्नी को साथ-साथ रहने की समझाइश देकर दोनों में सुलह कराई। मध्यस्थता केंद्र में भी अपर जिला न्यायाधीश-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ राजेश देवलिया ने दोनों पक्षों को आपसी सामंजस्य बनाए रखने तथा सुखमय वैवाहिक जीवन निर्वाह के लिए शुभकामनाएं देकर न्यायालय परिसर से रवाना किया। पत्नी भारती तथा पति राहुल ने पुनः साथ-साथ रहने के लिए सहमति व्यक्त की और दोनों एक साथ न्यायालय परिसर से ही खुशी-खुशी अपने घर गए। इस प्रकार एक बिखरा हुआ परिवार मध्यस्थता के माध्यम से पुनः एक होकर जुड़ गया।

(2)

जिला प्राधिकरण झाबुआ द्वारा दिनांक 09.01.2021 को एक्शन प्लान ऑन मीडिएशन–2021 के अंतर्गत मीडिएशन मॉनीटरिंग कमेटी बैठक एवं मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त जागरूकता कार्यक्रम से लगभग 50 व्यक्ति लाभांवित हुए।

दैनिक भास्कर झाबुआ 10-01-2021

सेवा प्राधिकरण के जागरूकता कार्यक्रम में जिला जज राजेश गुप्ता ने कहा

मध्यस्थता से भाई-चारा व सद्भावना बनी रहती है

भास्कर संवाददाता | झाबुआ

मध्यस्थता से पुराने मामले आपसी बातचीत और सुलह-समझौते के आधार पर आसानी से निपट जाते हैं। दोनों पक्षों में आपसी भाई-चारा एवं सद्भावना बनी रहती है।

यह बात जिला जज राजेश कुमार गुप्ता ने कही। वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गुप्ता ने कहा मध्यस्थता से फैला उजियारा एवं समझौते से झगड़ा हारा। समझौता और राजीनामा प्रत्येक परिस्थिति में लाभदायक रहता है।

जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते न्यायाधीश।

उन्होंने कहा इससे पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है। कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। विशेष न्यायाधीश महेश शर्मा ने कहा राजीनामा से ही पुराने मामलों में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश राजेश देवलिया ने मध्यस्थता प्रक्रिया के लाभ के बारे में बताया। समाजसेवी यशवंत भंडारी ने भी विचार रखे। प्रथम अपर जिला न्यायाधीश संजय चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रज्ञानन, न्यायिक मजिस्ट्रेट राजकुमार चौहान, हर्ष ठाकुर, प्रतिमा वास्कले, तनवी ठाकुर, रवि तंवर मौजूद थे।

DLSA NEEMUCH

An awareness camp organized on 09 January 2021 by DLSA Neemuch. During the said camp, a workshop was organized on Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act. The work was attented by Paralegal volunteers who were present physically and panel advocates and police officers participated through online mode.

In inaugural address, District Judge addressed the PLVs, Social workers etc on useful legal provisions of the Act, redressal of difficulties faced in the implementation.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छिंदवाडा

जिला प्राधिकरण छिंदवाडा द्वारा दिनांक 09/01/2021 को ए0डी0आर0 भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिएशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला मुख्यालय में पदस्थ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट की बैठक का अ ायोजन किया गया।

Lok Adalat Programmes

Permanent and Continuous Lok Adalat for MACT through hybrid mode was scheduled on **30.01.21** at the High Court and District Court level.

Disposal at High Court Level

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
202	79	5821315	305

Disposal at Dist. Court Level

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
6198	1840	264737377	3985

Total Disposal (High Court + District Court)

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
6400	1919	270558692	4290

Success Story

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन में भारतीय सेना में टैंक चलाने वाले सैनिक श्री राजीव वर्मा की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी जिसके क्लेम राशि के संबंध में उनकी पत्नि एंव बच्चों ने क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जिसमें राजीनामा से निराकरण करने के प्रयास प्रांरभ से ही किया गया प्रकरण में विशेष रूचि ली गयी जिससे प्रकरण राजीनामा के आधार पर निराकृत हुआ एवं प्रकरण में **75,00,000**/–रू. का अवार्ड पारित किया गया।

टैंक चलाने वाले सैनिक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर मिला 75 लाख का मुआवजा

लोक अदालत में 30 जिलों में 1839 प्रकरणों का निराकरण, 24.80 करोड़ के अवार्ड पारित

कार्यालय संवाददाता। जबलपुर

प्रदेश में शनिवार को आयोजित की गई लोक अदालत में उज्जैन में राजीनामा के जरिए टैंक चलाने वाले सैनिक राजीव वर्मा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। दिवंगत सैनिक की पत्नी और बच्चों को न्यायालय में ही 75 लाख रुपए का चैक दिया गया। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि लोक अदालत में प्रदेश में 30 जिलों में 1839 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में 24 करोड़ 80 लाख 80 हजार रुपए के अवार्ड पारित किए गए। खास बात यह रही कि लोक अदालत में रेफर किए गए प्रकरणों में से 50 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों का निराकरण हुआ है। प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह और अतिरिक्त सचिव धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि लोक अदालत के लिए पहले से ही अधिवक्ताओं और पक्षकारों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग की लिंक दे दी गई थी। शनिवार सुबह 11 बजे से लोक अदालत की सुनवाई शुरू हो गई। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में जस्टिस विशाल धगट और अधिवक्ता अरविंद कुमार पांडेय और हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जस्टिस विवेक रूसिया और अधिवक्ता विवेक पटवा की खंडपीठ का गठन किया गया था। दोनों खंडपीठों में 79 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें 58 लाख 21 हजार 316 रुपए के अवार्ड पारित किए गए।

जबलपुर में 131 प्रकरणों का निराकरण जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर में आयोजित लोक अदालत में 131 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन मामले में 3 करोड़ 74 लाख 54 हजार 830 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इन मामलों में 50 लोग लाभान्वित हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शरद भामकर ने बताया कि लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा, एसके पांडे, विधि सक्सेना और जिला विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जिलानी का सहयोग रहा।पी-3

सेवानिवृत्त पटवारी के पेंशन प्रकरण का 60 दिन में किया जाए निराकरण

कार्यालय संवाददाता,जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने सीधी कलेक्टर को निर्देश दिया है कि सेवानिवृत्त पटवारी के पेंशन प्रकरण का 60 दिन में निराकरण किया जाए। इस निर्देश के साथ जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने पटवारी की याचिका का निराकरण कर दिया है। सीधी निवासी इंद्रभान गुप्ता केशरी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि पटवारी के पद पर उसकी नियुक्ति 30 दिसंबर 1997 को हुई थी। 31 जनवरी 2017 को वह सेवानिवृत्त हुआ और उसे अभी तक पेंशन नहीं दी जा रही है। पेंशन के लिए राज्य शासन और कलेक्टर को कई बार अभ्यावेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शंभूदयाल गुप्ता और कपिल गुप्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता बुजुर्ग और बीमार है। पेंशन नहीं मिलने से उसकी आर्थिक हालत बेहद खराब हो चुकी है। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने 60 दिन के भीतर पेंशन प्रकरण का निराकरण करने का आदेश दिया है। पी-4

मैहर में श्मशानघाट के सामने की सड़क से अतिक्रमण हटाने का आदेश

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर।

मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने मैहर में श्मशानघाट के सामने की सड़क से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। डिवीजन बैंच ने कहा है कि इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा तहसीलदार को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाएगा। तहसीलदार जाँच के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। मैहर निवासी अभिषेक मिश्रा की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि मैहर में वार्ड 24 में श्मशानघाट है। श्मशानघाट की जमीन पर कई लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इसकी वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। अधिवक्ता आयुष चौबे ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मैहर तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने के लिए अभ्यावेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने तहसीलदार को जाँच के बाद अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।पी-3

Sun, 31 January 2021
https://epaper.bhaskarhindi.com/c/58106208

लोकोपयोगी सेवाओं के लिये स्थायी लोक अदालत

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल

जिला प्राधिकरण शहडोल में आवेदक श्री रामप्रसाद श्रीवास्तव द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा शिकायत की गई कि अनावेदक श्री दीपक आठनेरिया एवं मनोज भदौरिया द्वारा उनके घर का गंदा पानी, कचरा आदि मेरे घर के आस–पास फेंका जाता है, जिससे रात–दिन बदबू बनी रहती है व स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसान दायक है । उक्त समस्या को सचिव महोदय द्वारा समझा गया और उस प्रकरण को लोकोपयोगी लोक अदालत में रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाकर नगरपालिका अधिकारियों को नोटिस दिया गया

लोकोपयोगी लोक अदालत में पीठ द्वारा समझाईश दिये जाने पर उभय पक्ष के मध्य आपसी समझौता हुआ और अनावेदकगण द्वारा निस्तार के पानी मार्ग पर न बहाने संबंधी व्यवस्था की गई । उभयपक्ष समझौते से संतुष्ट हुए और दिनांक 29.01.2021 को कार्यवाही समाप्त हुई । इसप्रकार विवाद के पक्षकारों को निःशुल्क, शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्राप्त हुआ और कोई पक्ष न जीता न हारा ।''

Jail Inspection by DLSAs

DLSA Mandleshwar

A surprise visit to Sub-Jail Mandleshwar on 27.01.2021 was made by Secretary DLSA Mandleshwar. During the said visit, quality of food provided to inmates was examined by tasting the prepared food. In the said inspection, Kitchen and Dining area was inspected which was found clean and hygienic.

All the facilities related to food were found satisfactory.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिंगरौली

जिला प्राधिकरण सिंगरौली द्वारा दिनांक 26.01.2021 को जिला जेल बैढ़न में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, उक्त शिविर में कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, सचिव जिला प्राधिकरण एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा बंदियों को विधिक सहायता के बारे में अवगत कराया गया। सचिव द्वारा सभी बैरकों के निरीक्षण के साथ–साथ, पाकशाला का भी निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा महिला बैरक में जाकर उनकी समस्या सुनी तथा विधिक सहायता संबंधी जानकारी दी।

DLSA NEEMUCH

DLSA Chairman visited Sub Jail Jaawad on 11 January 2020 accompanied with Secretary DLSA and CJM and took stock of the facilities and problems faced by the inmates of the jail. Displeasure was expressed by the District Judge regarding uncleaniness in the jail premises. The Legal Literacy Camp which followed the inspection imparted relevant information by Chairman & Secretary DLS on rights of under trial prisoners, Pleabargaining, free legal aid and advice

Addressing the Jail Inmates by Chairman DLSA

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ

जिला प्राधिकरण राजगढ द्वारा दिनांक 25. 01.2021 को जिला जेल राजगढ़ में निरुद्ध सजायाफ्ता एवं विचाराधीन बंदियों को निशुल्क विधिक सहायता एवं कानूनी जानकारी देने के उद्देश्य से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में सचिव, जिला प्राधिकरण एवं तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, राजगढ ने बंदियों की समस्याएं सुनी एवं उनका निराकरण किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा

जिला प्राधिकरण रीवा द्वारा केन्द्रीय जेल रीवा में विधिक साक्षरता शिविर एवं निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सचिव, जिला प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय जेल के सभी बैरको, महिला सेल का निरीक्षण किया गया। सचिव द्वारा जेल में बंदियों को प्राप्त होने वाली मूलभूत सुविधाओं, आहार, चिकित्सा, विधिक सहायता इत्यादि के संबंध में निरीक्षण किया, साथ ही जेल में महिलाओं के साथ रह रहें बच्चों हेतु प्ले स्कूल का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर बंदियों को प्ली बारगेंनिग, जमानतों के कानून, बंदियों के अधिकार के संबंध में जानकारी दी गई। इसके अलावा बंदियों की समस्या सुनकर उनका समाधान करने के उददेश्य से जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किए गए।

Secretary DLSA inspecting Jail

Addressing the Women Inmates

DLSA Gwalior

DLSA Gwalior organized legal awareness camp at Central Jail Gwalior on 30/01/2021 focussing on menstural hygiene for women inmates in coordination with Commonwealth Human Rights Initiative. A sign board was also installed in the women prison campus on itiatives that can be taken along with spreading awareness of the Rights of Inmates to free legal aid, advice and a healthy environment.

Spreading awarness through banners

Principal Magistrate JJB with women inmates

विधिक सहायता प्रकरणों की कॉज लिस्ट

समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विधिक सहायता प्रकरणों के संबंध में कॉज लिस्ट प्रतिदिन तैयार की जाकर सूचना पटल पर चस्पा की जाती है, ताकि विधिक सेवा से संबंधित अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण उनके प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत हो सकें।

OFFICE OF DISTRICT LEGAL SERVICE AUTHORITY, RAISEN (M.P.)

Cause List
02-02-2021

SN	Name of the Beneficiary	Name of Parties	Case No.	Purpose of NDOH	Name of Legal aid Counsel	Name of Court	Sections & Act
1	Bablu Dhakad	State Vs Bablu Dhakad	RCT/624/2019	Matter Relating to Recording of Evidence in Criminal Matter	Jamshed Ahmad Siddiqui Raisen	Shri Mohit Parsai, X Additional Judge To I Civil Judge Class-II, Raisen	294, 323, 506 IPC
2	Mateel Ali S/o Unis Ali R/o Ward No.12, Begumganj	State Vs Mateen Ali	SC ART/66/2020	Miscellanceous matters not defined otherwise	Mehmood Khan Raisen	Shri Atulya Saraf, Special Judge Sc/St (P.A.) Act Raisen	354,323 IPC, 3(1)(W)(ii),3(2)(va) SC/ST Act & 7/8 PASCO Act

Sheet3

Legal Aid Cause List, Indore Dated - 02.02.2021

S. No.	Name of the beneficiary	Case No.	Section	Court	Legal aid Counsel	DOH	Present Stage	NDOH
1	विकास उर्फ दाउ	84/2020	NDPS ACt	Shri Amit Kumar Gupta	श्री आशीर्वाद चौरसिया	02-02-2021	Miscellaneous matters	
2	1. रामसिंह 2. सुखराम	अ०क्र० 367/2020, 257/2020	457, 380 IPC	Smt. Kala Bhammarkar,JJB	श्रीमती अंजना नाहर (कटारिया)	02-02-2021	charge	
3	1. रामसिंह 2. सुखराम	अ०क्र० 528/2020, 251/2020	457, 380 IPC	Smt. Kala Bhammarkar,JJB	श्रीमती अंजना नाहर (कटारिया)	02-02-2021	charge	
4	संदीप	अ०क्र० 439/2020, 7695/2020	327,323,294,506 IPC	Shri Sanjay Kumar Bhalavi	श्री संतोष चौहान	02-02-2021	charge	
5	शम्भू दयाल सूर्य	677/2020	125 (3)	Family Court, Indore	कु. निधि सेंगर	02-02-2021	Report	
6	मनीष	अ०क्र० 38/2021	379 IPC	Smt. Kala Bhammarkar,JJB	श्रीमती अंजना नाहर (कटारिया)	02-02-2021	charge	

Training & Webinar

SPREADING AWARENESS ON RIGHTS OF THE GIRL CHILD & DUTIES OF SOCIETY TOWARDS SECURING SAFETY & JUSTICE TO WOMEN

A Campaign for the rights of women on the occasion of National Girls Child Day was held on 24th January 2021, under the aegis of Crime Against Women Cell, Police Headquarters on the theme "Who is the real hero?" which was addressed by the Member-Secretary on "*Need for safe society for women being essential is a need for men or for society at large, on the mindset & repercussions to persons who perpetuate offences against women.*"

The webinar was telecast live on YouTube via link (https://youtu.be/ewjsCshHtlY)

ADDRESSING THE SPECIAL JUVENILE POLICE UNITS, SENSITIZATION ON CHILD RIGHTS, THEIR DUTIES TOWARDS CHILDREN AND EFFECTIVE STEPS FOR COORDINATION WITH OTHER DUTY HOLDERS

Member-Secretary addressing SJPUs

Participants at the said Conference

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर द्वारा दिनांक 19.01.2021 को नालसा (निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएँ) विनियम, 2010 के नियम 11(4) के अंतर्गत परामर्श एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर से संबंद्ध पैनल अधिवक्तागण को **''ई–कोर्ट सर्विस एप''** की जानकारी देते हुए अधिवक्तागण के मोबाईल नंबर सी.आई.एस. में दर्ज किये गए।

Outreach Activities

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा, तहसील विधिक सेवा समिति सिरमौर एवं जिला प्रशासन रीवा के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 30 जनवरी 2021 को ग्राम शाहपुर तहसील सेमरिया जिला रीवा के शासकीय विद्यालय में नालसा माडयूल पर विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम की प्रारंभ बालिका पूजन से किया गया एवं बच्चों के द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के संबंध में जागरूकता के संबंध में एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई, बच्चों के द्वारा गायन व अन्य कलात्मक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। शिविर में ग्राम शाहपुर की उपस्थित आम जनता को नालसा–सालसा की योजनाओं, निशुल्क विधिक सहायता एवं अन्य विधियों एवं शासन की हितग्राहियों मूलक योजनाओं के बारें में विधिक जानकारी प्रदान की गयी।

शिविर में अध्यक्ष जिला प्राधिकरण द्वारा नालसा, राज्य प्राधिकरण की योजनाओं, पॉक्सो अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। उक्त शिविर में शासन की योजनाओं के अंतर्गत एवं नालसा की योजनाओं के तहत निम्नानुसार हितग्राहियों को लाभाविंत किया गया–

क	योजना का नाम	लाभाविंतों की संख्या
1	नालसा गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं योजना ,2015	3755
2	नालसा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना, 2016	260
3	नालसा बच्चो को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2015	96
4	शासन की अन्य योजनाएं	1335
		5446

स्टार समाचार | सिटी स्टार

ग्राम पंचायत शाहपुर में लगा विधिक सेवा शिविर

विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले जिले भर में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ताकि कोई भी न्याय प्राप्त करने में वंचित न रह सके। अभियान की शुरूआत मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से की। न्याय विदों ने इस दौरान उपस्थित जन समुदाय को न केवल कानून से जुड़ी जानकारी साझा की। बल्कि उन्हें यह भी बताया कि वे किस तरह से कानून का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

न्याय प्राप्त करने से कोई भी वंचित नहीं रहे : सिंह

स्टार समाचार | रीवा

जनता का हित सर्वोपरि है और जनता को कल्याण एवं विधिक रूप से जागरूक करने के उद्देश्य से विधिक सेवा और साक्षरता शिविरों का आयोजन करना हमारा लक्ष्य है, ताकि न्याय तक सभी की पहुंच हो और कोई भी व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक व अन्य कारणों से न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जायें। हम अपने अधिकारों को कानून की जानकारी से ही प्राप्त कर सकते है और दीन व्यक्तियों को भी न्याय दिलवा सकते है। उक्त आशय के उद्गार जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह ने ग्राम पंचायत शाहपुर तहसील सेमरिया में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा, तहसील विधिक सेवा समिति सिरमौर एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विधिक सेवा शिविर के अवसर पर अपने मुख्य अतिथीय उद्बोधन में व्यक्त किए।

विधिक सेवा शिविर के मुख्य अतिथि श्री सिंह जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने उद्बोधन में कहा कि शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ नालसा मॉडयूल पर आधारित विधिक सेवा शिविरों में तत्काल प्रदान किया जाना, शिविर का मुख्य उद्देश्य होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोक कल्याण मंशा से कार्य करता है और गरीबों को न्याय दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। जिसमें सेमरिया क्षेत्र की जनता इस शिविर से लाभान्वित हुई है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि विधिक सेवा शिविर के माध्यम से हजारो व्यक्तियों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिला और आगे भी विधिक सेवा शिविरों के माध्यम से लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाईन व्यवहर्तन के संबंध में जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विपिन कुमार लवानिया ने इस दौरान विधिक सहायता व महिला संबंधी कानूनो के बारें में जानकारी दी। अपर जिला न्यायाधीश सिरमौर नीलेश यादव ने पॉक्सो अधिनियम के संबंध में जानकारी दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट सतीश बसुनिया, डालचन्द्र, उदयजीत कुंवर राव, सीईओ स्वपनील वानखेड़े, जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री, जनपद अध्यक्ष यशोदा संजय द्विवेदी एवं अधिवक्ता कुशल प्रताप सिंह, हेमराज पाण्डेय ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।

दी गई जानकारी के मुताबिक विधिक सेवा शिविर में लगभग 55 सौ व्यक्तियों को शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। इस अवसर पर सेमरिया अधिवक्ता संघ अध्यक्ष श्याम सुंदर तिवारी, गणेश पाण्डेय, शिवम सिंह, केपी सिंह, हेमराम पाण्डेय, धमेन्द्र सिंह, धमेन्द्र कुमार नापित सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। शिविर के दौरान स्कूली बच्चों ने स्वागत गीत, नुक्कड़ नाटक व अन्य प्रस्तुतियां दी। शिविर का संचालन डॉ. विवेक द्विवेदी ने किया।

danik jagran 31 jan 2021

जन कल्याण के लिये किये जा रहे हैं विधिक साक्षरता शिविर : श्री सिंह

जागरण, रीवा । ग्राम पंचायत शाहपुर में वृहद विधिक सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार सिंह, विधायक सेमरिया केपी त्रिपाठी तथा कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने किया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने कहा कि जनता का हित सर्वोपरि होता है। जन कल्याण के लिये ही विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक आमजन तक संवैधानिक अधिकारों तथा शासन की योजनाओं की जानकारी पहुंचे जिससे कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार तथा न्याय पाने से वंचित न रह जाये। हम अपने अधिकारों को कानून की जानकारी से ही प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ नालसा माड्यूल पर आधारित विधिक सेवा शिविरों में तत्काल प्रदान किया जाना मुख्य उद्देश्य होता है। शिविर में विधायक सेमरिया श्री त्रिपाठी ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोक कल्याण की मंशा से कार्य करता है। उसकी गरीबों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। शिविर में कलेक्टर ने कहा कि विधिक सेवा शिविर के माध्यम से आम जनता को जागरूक करने के साथ.साथ उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। विभिन्न विभागों द्वारा अब कई सेवायें ऑनलाइन उपलब्ध करायी जा रही हैं। आम जनता शासन की अधिक से अधिक योजनाओं की जानकारी प्राप्त करके उनसे लाभ उठाये। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायाधीश विपिन कुमार लवानिया ने विधिक सहायता एवं महिलाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी दी। अपर जिला न्यायाधीश नीलेश यादव ने पाक्सो एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी। शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट सतीश बसोनिया, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, एसडीएम सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने भी अपने विचार व्यक्त किये। शिविर में जनपद अध्यक्ष यशोदा द्विवेदी, उदयजीत कुंवर राव, अधिवक्ता कुशल प्रसाद सिंह, धमेन्द्र पाण्डेय तथा हेमराज पाण्डेय ने भी अपने विचार व्यक्त किये। शिविर में बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। शिविर में विद्यार्थियों ने स्वागत गीत तथा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया।

जला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर

बरमान मेला, नरसिंहपुर में हेल्प डेस्क व विधिक साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर द्वारा माँ नर्मदा के प्राचीन तट बरमान में आयोजित किए गए 15 दिवसीय (दिनांक 15.01.2021 से 30.01.2021) बरमान मेले में कैम्प लगाया जाकर हेल्प डेस्क सेंटर के माध्यम से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा निर्देशित एवं जिला प्राधिकरण नरसिंहपुर द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिविर आयोजन किया जाकर आमजनों को विधिक रूप से साक्षर व जागरूक किया गया। साथ ही, हेल्प डेस्क/लीगल एड क्लीनिक सेंटर में आने वाले व्यक्तियों/श्रद्धालुओं को विधिक सलाह व विधिक सहायता भी प्रदान की गई।

प्री कैम्प व्यवस्थाएँ

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा शिविर आयोजित किए जाने हेतु निर्धारित नवीन मॉडल के दिशा–निर्देशों के अधीन प्री–कैम्प तैयारियों के तहत हेल्प डेस्क की स्थापना व शिविर आयोजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कैम्प स्थल का चयन किया गया। बरमान मेले में स्थापित किए गए हेल्प डेस्क व लीगल एड क्लीनिक हेतु कैम्प स्थल/स्टॉल के चयन व योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु सचिव जिला प्राधिकरण द्वारा मेला प्रशासन व अन्य विभागों के प्रभारी अधिकारियों के साथ मेला आयोजन के पूर्व बैठक की गई।

मेला अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों का विवरण

मेला आयोजन स्थल पर हेल्प डेस्क के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों से आने वाले श्रद्धालुओं को उचित विधिक सलाह दिये जाने व आवश्यकतानुसार उनके आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के अतिरिक्त जिला प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं विधिक रूप से जागरूक एवं साक्षर बनाये जाने हेतु अनेक कार्यक्रमों, शिविरों का सुरूचिपूर्ण ढंग से आयोजन किया गया एवं जल एवं पर्यावरण की रक्षा हेतु श्रद्धालुओं के सहयोग से जिला प्राधिकरण नरसिंहपुर द्वारा जनजागरूकता एवं संकल्प रैली का आयोजन किया गया।

दिनांक	आयोजित कार्यक्रम / शिविर	लाभान्वित व्यक्ति	आयोजन का प्रकार /तरीका
18.01.21	मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के संबंध में	70	उपस्थित जनसमूह को विभिन्न प्रावधानों के संबंध में संबोधित कर जागरूक करने द्वारा
19.01.21	आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण के संबंध में	40	उपस्थित जनसमूह को विभिन्न प्रावधानों के संबंध में संबोधित कर जागरूक करने द्वारा
20.01.21	पंच–ज के संबंध में	500	जल संरक्षण पर रैली निकाली जाकर एवं शपथ दिलायी जाने द्वारा
21.01.21	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संबंध में	150	स्थापित हेल्प डेस्क के माध्यम से संबंधितों को उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक किये जाने के द्वारा
23.01.21	मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम	50	सीढ़ी घाट बरमान में उपस्थित समस्त वृद्धों को एकत्रित कर शिविर आयोजन किया जाकर मास्क वितरण व जागरूकता कार्यक्रम
29.01.21	नशा पीड़ितों व उनके उन्मूलन के संबंध में शिविर	45	युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराकर एवं शपथ दिलाये जाने द्वारा
30.01.21	वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा के संबंध में।	06	वृद्धाश्रम बरमान में निवास कर रहे वृद्धों की समस्याओं को जानकर, उनके अधिकारों के संबंध में बताकर एवं सम्मान किये जाकर
30.01.21	पंच–ज	600	माँ नर्मदा को स्वच्छ रखने एवं साबुन इत्यादि के प्रयोग न करने के संबंध में क्षेत्रीय लोक कलाकारों के गायन के साथ जनजागरूकता रैली का आयोजन । साथ ही पंच–जा के अन्य विषयों के संबंध में भी उपस्थित श्रद्धालुओं को जागरूक किया।
योग		**1461**	

स्थापित हेल्प डेस्क/लीगल एड क्लीनिक द्वारा दी गई विधिक सहायता/सलाह संबंधी जानकारी

क.	प्राप्त आवेदन की प्रकृति/विषय	संबंधित विभाग	कुल संख्या
1	वृद्धावस्था पेंशन	जिला पंचायत	06
2	पी.एम. आवास योजना	जिला पंचायत	70
3	बी.पी.एल. कार्ड हेतु आवेदन	खाद्य विभाग	15
4	निःशक्त पेंशन योजना	सामाजिक न्याय विभाग	12
5	नाली निर्माण	पंचायत विभाग	02
6	जमीन संबंधी विवाद	राजस्व विभाग	04
7	सड़क निर्माण	पंचायत विभाग	03
8	राष्टीय परिवार सहायता, अंतेष्टी सहायता, अनुग्रह सहायता (संबल योजना)	जनपद पंचायत चावरपाठा	20
कुल योग			**132**

- हेल्प डेस्क में अन्य पंजीकृत विधिक सलाह लाभाविन्तों की कुल संख्या – 208

विशेषः–

1. जनपद पंचायत चावरपाठा जिला नरसिंहपुर से संबंधित प्राप्त समस्त 20 प्रकरण कार्यपालन अधिकारी चावरपाठा द्वारा मेला स्थल पर राशि स्वीकृत की जाकर निराकृत किये गये, जिसमें कुल राशि 19,81,600/– संबंधितों को स्वीकृत की गई।

2. उपरोक्त सारणी अनुसार अन्य विभागों से संबंधित आवेदनों को संबंधित विभागों को इस अनुरोध के साथ निराकरण हेतु प्रेषित किये गये हैं कि वे प्राप्त आवेदनों पर यथानियम विचार कर 15 दिवर के भीतर निराकरण कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

झलकियां.....

वरिष्ठ नागरिक/श्रद्धालुजन के लिए मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम

स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा लोकगीतों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश

बरमान मेले में स्वच्छता अभियान का समापन

ग्रामीणों को विधिक सहायता दे रहे विशेषज्ञ

15 दिवसीय शिविर का शुभारंभ

भास्कर न्यूज़ | नरसिंहपुर

जिले के प्रसिद्ध बरमान मेले में एक ही स्थान पर निशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से 15 दिवसीय विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर लगाया गया है। शिविर का शुभारंभ जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती आशा गोधा द्वारा किया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक बुखारिया मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि ग्रामीणों की कानूनी समस्याओं के निराकरण के लिए लगाए गए शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल एड क्लिनिक हेल्प डेस्क स्थापित की गई है जहां पर पैरा लीगल वालंटियर एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला विधिक सहायता अधिकारी व पैनल लॉयर द्वारा समाज के कमजोर वर्गों, ग्रामीण जनों की कानूनी समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक विधिक सहायता व सलाह दी जा रही है। शिविर के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन के साथ योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार साक्षरता शिविर का आयोजन होगा। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी राजेश सक्सेना, करेली थाना के आरएस भार्गव, आरक्षक कल्पना नामदेव, पैरा लीगल वालंटियर पीयूष दीक्षित, गोपाल व्यवहार, आशुतोष स्वामी ने ग्रामीणों को जानकारी दी।

युवाओं को नशे की लत से दूर रहने किया सजग

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का बरमान में शिविर

भास्कर न्यूज़ | नरसिंहपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जिला न्यायाधीश श्रीमती आशा गोधा के मार्गदर्शन में बरमान तट पर जिला प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रंखला में आज नशा मुक्ति अभियान के तहत युवा हेतु जागरूकता कार्यक्रम सचिव संजय गुप्ता की उपस्थिति में स्थापित हेल्पडेस्क सेंटर पर आयोजित किया गया। जिसमें श्री गुप्ता द्वारा युवाओं को नशे की लत से दूर रहने हेतु प्रेरित किया साथ ही नशे से समाज परिवार एवं स्वयं के शरीर पर पढ़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचने हेतु सजग किया गया। कार्यक्रम के अंत में जिला विधिक सहायता अधिकारी राजेश सक्सेना द्वारा समस्त युवाओं को नशा मुक्त भारत के निर्माण हेतु शपथ का वाचन कराया गया। कार्यक्रम में पैरालीगल वालंटियर पीयूष दीक्षित, गोपाल व्यवहार एवं 50 युवा उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी

जिला प्राधिकरण सिवनी द्वारा दिनांक 19.01.2021 को ग्राम पंचायत आमगांव तथा कलबोडी में पंच ज, नालसा (आपदा पीडितों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवाएं) योजना, 2010 हेतु विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। विधिक सहायता अधिकारी द्वारा शिविर में उपस्थित नागरिकों को वृक्षारोपण करने, प्लास्टिक का उपयोग यथासंभव कम करने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने के लिए आमजन को जागरूक किया गया। इसके साथ ही जिला प्राधिकरण सिवनी द्वारा दिनांक 20.1.2021 को ग्राम पंचायत सुकतरा में पंच ज, तथा तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा

जिला प्राधिकरण हरदा द्वारा दिनांक 21.01. 2021 को वृद्धाश्रम में में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में वृद्धजनों को उनके अधिकारों के संबंध में अवगत कराया तथा नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2016 के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ

जिला प्राधिकरण झाबुआ द्वारा दिनांक 06.01.2021 को शासकीय हाईस्कूल एवं शासकीय माध्यमिक विद्यालय, ग्राम कालापीपल, जिला झाबुआ में, दिनांक 19.01.2021 को शासकीय कन्या बुनियादी विद्यालय एवं शासकीय कन्या परिसर हायर सेकेण्डरी विद्यालय झाबुआ में तथा दिनांक 23.01.2021 को नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) झाबुआ में शिविरों का आयोजन किया गया। उक्त शिविरों में नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं) योजना–2015, नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना–2015, निःशुल्क विधिक सहायता, संवैधानिक मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, भरण–पोषण कानून, बेटियों को माता–पिता की संपत्ति में पुत्रों की तरह ही बराबरी का अधिकार, शिक्षा का मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार संबंधी जानकारी दी गई। उक्त शिविर में उपस्थित आमजन एवं छात्र छात्राओं को योजनाओं संबंधी ब्रोशर्स वितरित किये गये। उक्त शिविरों से लगभग 340 छात्र छात्राएं एवं आमजन लाभांवित हुए।

महिला सशक्तिकरण • बुनियादी कन्या हाईस्कूल में हुए कार्यक्रम में अपर जिला न्यायाधीश देवलिया ने कहा

जागरूक होकर ही सशक्त बन सकती हैं महिलाएं

भास्कर संवाददाता | झाबुआ

प्रत्येक छात्रा एवं महिला को शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विधिक जागरूकता का महत्वपूर्ण स्थान है। महिला सशक्तिकरण के लिए विधिक जागरूकता जरूरी है।

यह बात अपर जिला न्यायाधीश राजेश देवलिया ने कही। वे स्थानीय शासकीय बुनियादी कन्या हाईस्कूल में जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम किया गया था। देवलिया ने कहा जागरूकता के माध्यम से संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति होती है।

उन्होंने कहा महिलाओं को घरेलू हिंसा एवं लैंगिक अपराधों से संरक्षण के लिए विशेष कानूनों के प्रावधान किए गए हैं। बेटियों को माता-पिता की संपत्ति में पुत्रों की तरह ही बराबरी का अधिकार दिया गया है।

कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन सुलिया ने छात्राओं को पढ़ाई के साथ-साथ सामाजिक विषयों के अध्ययन तथा महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने के लिए प्रेरित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता एवं विधिक साक्षरता अभियान के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता, संवैधानिक मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, भरण-पोषण कानून विधिक सेवा एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं आदि की विस्तार से जानकारी दी गई। कोरोना वायरस रोकथाम से बचाव के संबंध में भी उपाय बताए गए।

साथ ही बच्चों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करने एवं भीड़ से बचने की समझाइश दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षण विनोद कुमार बसौड़, शैफाली त्रिवेदी, गीता डाबर, किरण चौहान सहित छात्राएं मौजूद थी। संचालन शिक्षिका संगीता गुप्ता ने किया।

छात्राओं को कानून और अधिकारों की जानकारी देते न्यायाधीश।

ग्राम कालापीपल हाईस्कूल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन सम्पन्न

(अमित शर्मा)

झाबुआ- विकास खंड झाबुआ के ग्राम कालापीपल हाईस्कूल में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ की ओर से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर का आयोजन जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में एवं प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश श्री राजेश देवलिया के द्वारा हाईस्कूल कालापीपल में संपन्न हुआ। विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में छात्र/छात्राओं को संबोधित करते हुए अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री देवलिया ने कहा कि संविधान प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कर्तव्यों का निर्वाहन आवश्यक है। क्योंकि एक व्यक्ति का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति का कर्तव्य होता है और अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे के पूरक है। जागरूकता ही अधिकारों को प्राप्त करने की कुंजी है निःशुल्क विधिक सहायता, महिला अधिकार, मानव अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण एवं बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। छात्र/छात्राओं का कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के उपाय भी बताये गये एवं स्कूली ज्ञान के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी के लिए महापुरूषों का जीवन चरित्र पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया। शिविर में उपस्थित छात्राओं को लैंगिक हमले से महिलाओं का संरक्षण, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, भरण-पोषण कानून, महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार आदि का कानूनी जानकारियों को विस्तार से समझाया गया। शिविर को न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अमन सुलिया ने भी संबोधित किया एवं बच्चों को सामान्य जन उपयोगी कानूनी जानकारियां से अवगत कराया। संस्था प्राचार्य श्रीमती शीला सिसौदिया एवं शिक्षक मुरका भुरिया, नानसिंह बारिया एवं ग्राम के नागरिकगण एवं स्कूली छात्र/छात्राएं उपस्थित थे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ

विनय उजाला

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल

जिला प्राधिकरण बैतूल द्वारा दिनांक 15.01.2021 को बाल संप्रेक्षण गृह में नालसा ''बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवायें और उनके संरक्षण के लिये विधिक सेवायें योजना'' अंतर्गत पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बच्चों कों किताबों व अध्ययन का महत्व समझाया गया तथा अध्ययन चालू रखने के संबंध में प्रेरणा दी गई। उक्त शिविर में उपस्थित 19 बच्चों को फल एवं बिस्किट का वितरण किया गया।

DLSA ANUPPUR

(1) On 08-01-2021, a legal literacy camp was organized in the Village Chhulha under the Nalsa (Legal Services for Effective Implementation of Poverty Alleviation) Scheme. The people were made aware of all the beneficial Schemes of the government for the poor people. Also, people were made aware about the general law.

(2) A legal literacy camp was organized at Tulsi Collage Anuppur on 13-01-2021 under the NALSA (Friendly Legal Services for Children) scheme. About 40 students, 12 teachers were present in the program. Attendees were made aware of the POCSO Act, the law relating to children. Along with this, the students were also made aware of the rights of the victim, common law, victim compensation scheme, public utility Lok Adalat, free and competent legal assistance.

DLSA DHAR

District Legal Services Authority, Dhar organised a Legal Literacy Camp at Fansi Wali Tekri, Dhar. The people were informed by District Legal Aid Officer about the schemes such as Legal Services to the Workers in the Unorganized Sector Scheme, 2015, Protection and Enforcement of Tribal Rights, 2015 and the problems of people were noted. Various problems related to Water, electricity, Issuance of Oldage Pensions and Government Lease were taken into record.The Camp was organised and the process was undertaken with all the Covid Protocols being followed.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा

जिला प्राधिकरण हरदा द्वारा ग्राम पड़वा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में पैरालीगल वालेंटियर की टीम द्वारा ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रेरित किया गया। उक्त पी.एल.व्ही. की टीम की सहयोग से पात्र परिवारों को पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत इलाज कराने हेतु आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। उक्त शिविर में नालसा एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई एवं विधिक जागरूकता हेतु योजनाओं के ब्रोशर्स वितरित किये गये, साथ ही निःशुल्क मास्क भी वितरित किये गए। इसके साथ ही दिनांक 24.01.2021 को पैरालीगल वालेंटियर के द्वारा ग्राम रामटेक में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया ग्रामीणों को जिला विधिक योजनाओं की जानकारी प्रदान किये जाने के साथ ही ग्रामीणों को मास्क का वितरण किया गया।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई

नेताजी की जयंती पर हुए कार्यक्रम में शामिल लोग। ● **नवदुनिया**

खिरकिया/चारुवा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शनिवार को ग्राम रामटेक में नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयंती पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें पैरालीगल वालंटियर संजय गंगराड़े ने लोगों को जिला विधिक योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही सभी को बताया कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस हमारे देश के एक क्रांतिकारी नेता थे। जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से निवेदन किया कि हम सब उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लें। आज हमें जो आजादी मिली है। इसे संभाल कर रखना है। इसकी रक्षा करना है। इस दौरान युवा उपभोक्ता कल्याण समिति से दिनेश दशोरे, पवन बघेला, पीएलवी सलोनी गंगराड़े, सुनील राजपूत, दीपेंद्र देवड़ा उपस्थित रहे। **(नप्र)**

DLSA INDORE

A Legal awareness programme organized by DLSA Indore at Bairwa Samaj Dharmshala, Nehru Nagar, Indore in coordination with Police Department, Women & child development department and NGOs. Secretary DLSA apprised to audience regarding the provisions of POCSO Act, Domestic Violence & Victim compensation scheme.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर

जिला प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिनांक 27.01.2021 को एकीकृत शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम बरगी जबलपुर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में लीगल एड क्लीनिक, पैरालीगल वालेंटियर योजना, राज्य प्राधिकरण एवं नालसा की योजनाओं की जानकारी दी गई।

DLSA JABALPUR

On 23 January 2021, in the Block Patan Community Building and village Sahasan (Dhaneta), the Mahila Samman Awareness Campaign was organized in collaboration with the DLSA, Women's Child Development & Police Department. In said programme various activities have done by children such as dramas on women empowerment, painting, paper presentation, rangoli, speeches etc Secretary DLSA and other officials awarded certificate to participants. In program a large number of female children and women were present.

DLSA DINDORI

DLSA DINDORI Coming down to a hinterland Village called Bamhani on a local market day after trudging labyrinthine ways, a legal aid and literacy camp was organised in the center of village inhabited mostly by tribal people on the core issues of human trafficking, commercial Sexual Exploitation, protection and enforcement of tribal rights. The gullible and naive people of this and surrounding villages have fallen prey on several occasions to unscrupulous predators i.e. traffickers who decoy these guileless people. In the camp people were made aware of prevalence of such practices, Modus operandi of traffickers, proneness of villagers on the basis of some real cases based facts.They were advised to take precautions and circumspection when going to distant places looking for job with the help of someone. They were also made literate about importance of education, repercussion of alcoholism which is wide spread here and their rights. They were specially sensitised towards girls going far places.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद

(1) जिला प्राधिकरण होशंगाबाद द्वारा जीवोदय बालक संस्थान (स्पार्क)– इटारसी, जिला होशंगाबाद में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में संस्थान में रहें बालकों को नालसा एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी।

(2) जिला प्राधिकरण होशंगाबाद द्वारा अपना घर–वृद्धाश्रम, इटारसी जिला होशंगाबाद में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ जन को नालसा एवं राज्य प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी दी तथा नालसा (वरिष्ठ जन के लिये विधिक सेवाएं) योजना का विस्तृत जानकारी दी।

DLSA GWALIOR

On 15 January 2021, Secretary Gwalior visited Ashram Swarg Sadan at Gudi Guda Ka naka Gwalior. There were 40 male senior citizens in the Ashram. Most of them were deserted by their family members. They were taken from either hospital or from roadside. The Ashram is taken managed and run by Shri Vikas Goswami along with his team members with the cooperation of administration and local people. Two senior citizens were hospitalised and are taken care by the members of the Ashram. It came to knowledge of DLSA that two senior citizens ate keen to be shifted at their respective places and the details were also verified by the members of the Ashram. Steps are being taken to send these senior citizens to their native place in coordination with concerned Secretary DLSA of that district.

Senior citizens of the Ashram were apprised about the provisions of benefits of senior citizen act. Secretary DLSA requested to Secretary Chhatarpur to cooperate for which he assured full Cooperation. The best thing that came to his knowledge was that the place where the Ashram was constructed, the land was occupied with the special help of former secretary DLSA Gwalior.

Only male Senior citizen was kept in the Ashram. Efforts in coordination with local administration are being done to start Ashram for elderly woman also. He assured the members of full cooperation.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम द्वारा दिनांक 30.01.2021 को रक्तदान शिविर आयोजन किया गया। जिसमें न्यायाधीशगण, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्रामीणजन, न्यायालयीन कर्मचारीगण, संस्था जय कैला माता शैक्षणिक एवं सामजिक संस्था के सदस्यगण द्वारा रक्तदान कर इस पुनीत कार्य में सक्रिय सहयोग दिया। इस कार्यक्रम को संचालित कराने में जिला चिकित्सालय, रतलाम के चिकित्सकगण, टैक्नीशियन एवं कर्मचारीगणों का विशेष योगदान रहा। उक्त कार्यक्रम में पैरालीगल वालेंटियर्स एवं जिला प्राधिकरण के कर्मचारीगण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उक्त शिविर में 34 लोगों ने रक्तदान किया।

DLSA NEEMUCH

Legal literacy camp organized on the occasion of National Youth Day

Legal Literacy Camp organized by District Legal Services Authority, Neemuch in the Government Higher Secondary School, Neemuch, on the date of birth of Swami Vivekananda on January 12, 2021 was done.

Addressing the camp, Additional District Judge and Secretary, District Legal Services Authority, Neemuch expressed that the ideas that Swami Vivekananda has given in his young age are a guide for us even today and especially for the youth. Is the source. Explaining the formulas told by Swami Vivekananda - get up, wake up and run, until the goal is achieved, the students are encouraged to strive till their goals are set and achieved.

The Principal of the school and lecturer addressed the camp and threw light on the life of Swami Vivekananda. The program was moderated by Vidyalaya teacher Mr. Hasan Ali Sayyed. Students of the school participated in the camp.

Resolution of Complaint Received Through Legal Aid Helpline- 15100

Legal Issues	Non Legal Issues
13	1

----XXX-----